

धारा 11 : उपकर से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध

- (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय, अनुदग्रहण, कम उदग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, जहां तक हो सके, माल और सेवा की अन्तरराज्यीय पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उदग्रहणीय उपकर के उदग्रहण और संग्रहण, के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यीय पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उदग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- (2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय अनुदग्रहण, कम उदग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उदग्रहणीय उपकर के उदग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत कर के उदग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं :

परन्तु धारा 8 के अधीन उदग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उपकर के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग उक्त धारा के अधीन उदग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उक्त उपकर के संदाय के लिए ही किया जाएगा।